न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव

पीठासीन अधिकारी श्री प्रतापसिंह आई.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. कमलसिह पुत्र बसतसिह उम्र 40 वर्ष 2. दीपसिह पुत्र बसतसिह उम्र 38 वर्ष 3. किशनसिह पुत्र बसतसिह उम्र 36 वर्ष 4. जुंझारसिह पुत्र बसतसिह उम्र 34 वर्ष 5. सिरेकवंर पत्नी बसतसिह उम्र 59 वर्ष जाति राजपूत निवासी तुड़बी तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर		1. अदरीम पुत्र हासम उम्र 55 वर्ष 2. कुचटा पुत्र फुसा उम्र 47 वर्ष 3. जामीन पुत्र अलीया उम्र 48 वर्ष 4. कालू पुत्र मोड़ा उम्र 70 वर्ष 5. मंगला पुत्र मोडा उम्र 67 वर्ष 6. हासम उर्फ हसण पुत्र मोडा उम्र 65 वर्ष जाति मुसलमान निवासी तुड़बी तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर

उपस्थिति : 1. श्री बृजमोहन कुमावत वकील वादीगण।
2. श्री ईश्वरसिह भाटी वकील प्रतिवादीगण।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 209, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :– 136/2017

अन्तिम डिक्री   दिनांक : 18/10/17

वादी के वाद का संक्षिप्त में कथन इस प्रकार है कि वादीगण की जागीरी काल से खातेदारी खेत मौजा हरसानी तहसील षिव जिला बाड़मेर वर्तमान राजस्व ग्राम तुड़बी तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 1161, 1205, 1207, 1252, 1267, 1303, 1308, 1318, 1325, 1335, 1363, 1371 कुल रकबा 1551.16 बीघा एवं खसरा नम्बर 1293, 1355 कुल रकबा 55.06 बीघा किस्म बा0 चा0 के आये हुए है।

कि जागीरी काल मे उक्त सभी खेत पहाड़सिह, मंगलसिह, हड़मतसिह, अमोलखसिह पिसरान् हेमसिह के थे, किन्तु भू प्रबधं हुआ उस समय वादीगण के वालिद/दादा पहाड़सिह का देहान्त हो जाने से मंगलसिह, हड़मतसिह, अमोलखसिह पिसरान् हेमसिह ने अपने नाम खातेदारी मे दर्ज करवा लिये।

कि जिस समय भू प्रबधं हुआ उस समय मौजा हरसानी के खसरा नम्बर 1161, 1205, 1207, 1252, 1267, 1303, 1308, 1318, 1325, 1335, 1363, 1371 कुल रकबा 1551.16 बीघा भूमि मंगलसिह, हड़मतसिह, अमोलखसिह पिसरान् हेमसिह के नाम दर्ज की गई तथा वादीगण के दादा स्व. पहाड़सिह पुत्र हेमसिह के हिस्सा/बंट की भूमि खसरा नम्बर 1293, 1355 कुल रकबा 55.06 बीघा प्रतिवादीगण के वालिदो हासम, फुसा पि0 अजीता 1/3 हिस्सा, मोडा वल्द राणा 1/3 हिस्सा व भाईखां वल्द मेहाजाल 1/2

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Scanned by CamScanner

हिस्सा कौम मुसलमान ने तात्कालीन भू प्रबंध अधिकारियो से मिलावट कर
रुप से पसायतेदार के रुप मे अपनी खातेदारी मे अंकित करवा दी।

कि वक्त सेटलमेंट वादीगण के पिता बसंतसिह नाबालिग थे तथा दादा पहाड़सिह का देहान्त हो जाने से परिवार का मुखिया व कर्ता खानदान मंगलसिह पुत्र हेमसिह थे जिन्होने अपने जीवनकाल मे ही अपने चारो भाईयो के हिस्सा की भूमि का मौखिक बंटवाड़ा कर दिया था। मंगलसिह के द्वारा करवाये गये बंटवाड़े अनुसार वादीगण के हिस्सा मे निम्नलिखित आराजी दी गई जिसका विवरण निम्न हैं :–

क्र0 सं.	गांव का नाम	खसरा नम्बर	रकबा बीघा मे.	किस्म
01.	तुड़बी	1303	100.06 बीघा	बा. चा.
02.	तुड़बी	1335	114.17 बीघा	बा. चा.
03.	तुड़बी	1647 / 1267	50.00 बीघा	बा. चा.
04.	तुड़बी	1686 / 1371	80.12 बीघा	बा. चा.
05.	तुड़बी	1293	43.09 बीघा	बा.चा.
06.	तुड़बी	1355	11.17 बीघा	बा. चा.
06	तुड़बी	6 खसरे	401.01 बीघा	बा0 चा0

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

कि जागीरी काल मे वादीगण के वालिदो के नाम 1551.17+ 55.06= 1607.03 बीघा भूमि थी। जिसमे से 1/4 हिस्सा की 401.01 बीघा भूमि पारिवारिक बंटवाड़े मे वादीगण के दादा पहाड़सिह की होने से वादीगण के पिता को दी गई। वादीगण के दादा पहाड़ंसिह का सेटलमेंट से पूर्व देहान्त होने व वादीगण के पिता सेटलमेन्ट के समय नाबालिग होने से उन्हे कभी रेकर्ड की ओर ध्यान नही दिया जिस वजह से ग्राम हरसानी के वर्तमान राजस्व ग्राम तुड़बी के खसरा नम्बर 1293, 1355 रकबा क्रमषः 43.09, 11.17 बीघा प्रतिवादीगण के वालिदो हासम, फुसा पि0 अजीता 1/3 हिस्सा, मोडा वल्द राणा 1/3 हिस्सा व भाईखां वल्द मेहाजाल 1/2 हिस्सा कौम मुसलमान के नाम भूलवष चढ़ गई, जबकि जागीरी काल से मौजुदा समय मे उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काष्त बेरोक टोक शांतिपूर्वक चला आ रहा है। तात्कालीन समय मे उक्त वादग्रस्त भूमि की बीघोड़ी लगान आदि वादीगण के वालिद ही भरते आ रहे हैं, तथा गिरदावरी रिपोर्ट भी वादीगण के वालिदो के नाम दर्ज होती आ रही थी।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Scanned by CamScanner

वादीगण वादग्रस्त भूमि पर केसीसी बनाने हेतु हल्का पटवारी के पास गये तो हल्का पटवारी ने खसरा नम्बर 1303 ,1335, 1647/1267, 1686/1371 की भूमि वादीगण के नाम खातेदारी मे दर्ज होना बताया तथा खसरा नम्बर 1293, 1355 रकबा क्रमशः 43.09, 11.17 बीघा प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी मे दर्ज होने का अवगत करवाया जिस पर वादी ने भू अभिलेख शाखा बाड़मेर तहसील गडरारोड़ व हल्का पटवारी से नकले लेकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1293, 1355 रकबा क्रमशः 43.09, 11.17 बीघा मे से प्रतिवादीगण के नाम हटाये जाकर वादीगण की खातेदारी मे घोषित करवाने का दावा पेश किया।

इस पर वादीगण का वाद पंजीबद्ध कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी सं. 2 से 4 क्रमशः कालू, कुचटा एवं जामीन ने अपना राजस्व लोक अदालत कैम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय खानियानी तह0 गडरारोड़ मे अधिवक्ता श्री ईश्वरसिह भाटी के जरिये स्वयं उपस्थित होकर ईकबाली जबावदावा पेश कर वादीगण के नाम खातेदारी मे दर्ज किये जाने की सहमति प्रदान की, तथा इसके बाद दिनांक 31.10.2018 को प्रतिवादी सं. 1 अदरीम जरिये वकील श्री ईश्वरसिह भाटी स्वयं न्यायालय मे उपस्थित होकर ईकबाली जबाव पेश कर सहमति जताई तथा शेष पक्षकारो की ओर से आगामी पेशी पर राजीनामा पेश करने की सुचना दी। जिस पर पत्रावली मे कोई प्रभावित कार्यवाही अमल मे नही लाई जा सकी। इसके बाद आगामी पेशी तारीख दिनांक 7.02.2019 को प्रतिवादी सं. 5 मंगला पुत्र मोडा व प्रतिवादी सं. 6 हाजी हुसैन उर्फ हसण पुत्र मोडा जरिये अधिवक्ता श्री ईश्वरसिह भाटी के जरिये राजीनामा मय जबाव पेश किया, वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए राजीनामा एवं सहमति अनुसार वादीगण ने मौजा तुड़बी तह0 गडरारोड़ के खसरा नम्बर 1355 रकबा 11.17 बीघा भूमि के सम्बध मे खातेदारी घोषणा का दावा तर्क करने का प्रार्थना पर पेश किया जो पत्रावली रेकर्ड मे उपलब्ध है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए राजीनामा तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किये जाने पर राजीनामा की शर्तो अनुसार वादीगण द्वारा वाद पत्र मे खसरा नम्बर 1355 के सम्बधं मे चाहे गये अनुतोष को त्यागने के आवेदन को स्वीकार किया गया, तथा प्रतिवादीगण की ओर से पेश ईकबाली जबावदावा मय राजीनामा को रेकर्ड पर लिया गया।

कि प्रतिवादीगण ने अपने ईकबाली जबावदावा मय राजीनामा मे मौजा तुड़बी के खसरा नम्बर 1293 रकबा 43.09 बीघा मे 05 बीघा भूमि को रेकर्ड मे प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी मे रखते हुए शेष बची भूमि मे से प्रतिवादीगण के नाम हटाये जाकर

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

उनके स्थान पर 38.09 बीघा वादीगण की खातेदारी मे घोषित करने हेतु ... प्रदान की है। इस संबंध में वादीगण ने राजीनामे मे सहमति जताई है।

वादीगण की ओर से पी0 डब्लू–1 किशनसिह के ब्यान संक्षेप इस प्रकार है कि सेटलमेन्ट के वक्त भूलवंश खसरा नम्बर 1293, 1355 प्रतिवादीगण की खातेदारी मे दर्ज हो गये थे। प्रतिवादीगण ने हरीसाणी पटटी के 36 कौम के लोगो को इकठा कर समाजिक पचांयती मे वादीगण के दावे पर राजीनामा प्रस्तुत करने हेतु सहमति दे दी है। "ब्यान" कलमबद्ध करवाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्ष करवाये गये। प्रतिवादीगण द्वारा ईकबाली जबाव मय राजीनामा पेष करने पर किसी प्रकार के विवाधक कायम नही किये गये।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्तो की बहस सुनी तथा पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो का गभीरता पूर्वक अवलोकन किया। उक्त अवलोकन प्रस्तात निम्न बिन्दू सामने आते है :–

1. प्रस्तुत खसरा गिरदावरी संवत 2019 (प्रदर्श–11) से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1293 पर वादीगण का काश्त था।
2. वादीगण द्वारा प्रस्तुत वक्त सेंटलमेंट की जमाबदी (प्रदर्श–5, 6) से कुल पुश्तैनी संपति का मिलान हो रहा है।
3. प्रतिवादीगण ने भी वादीगण के वाद को स्वीकार किया है।
4. कुल पुश्तैनी संपति खसरा नम्बर 1293, 1355 को जोडते हुए यदि वादीगण के दादा का हिस्सा निकला जाए तो वादपत्र मे प्रस्तुत सारणी से मिलान खाती है।
5. वादीगण ने स्वयं ही खसरा नम्बर 1355 सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 1293 मे 5 बीघा भूमि का अनुतोष तर्क कर दिया है। अतः जो अनुतोष चाहा ही नहीं गया है। न्यायालय उस पर विचार नही करेगा।

बाद अवलोकन उपरोक्त बिन्दुओं, मौखिक साक्षियो एवं प्रस्तुत दस्तावेजो एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं ईकबाली जबाव दावा के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा तुड़बी तहसील गडरारोड़ के खेत खसरा नम्बर 1293 रकबा 43.09 बीघा भूमि मे से 38.09 बीघा भूमि वादीगण की खातेदारी मे घोषित की जाती है, शेष रकबा 5 बीघा भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी मे यथावत रखी जाती है। राजीनामा तस्दीक होकर इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमलदारामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं ।

तहसीलदार, **गडरारोड़** को आदेषित किया जाता है कि वे अंतिम डिकी अनुसार खसरा नम्बर 1293 रकबा 43.09 बीघा भूमि मे से 38.09 बीघा भूमि का राजस्व रेकर्ड नामांतकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, तथा अंतिम ड़िकी अनुसार राजस्व रिकार्ड में

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

...वत रूप से अमलदरामद करने के बाद राजस्व रिकार्ड की सत्यप्रतियों सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। खर्चा पक्षकारन अपना–अपना वहन करें।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
सहायक कलक्टर
(SDO) शिव जिला बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 18/10/19 को सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
सहायक कलक्टर
शिव (SDO) जिला बाड़मेर

Scanned by CamScanner

डिकरी–पर्चा

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव

पीठासीन अधिकारी श्री प्रतापसिह आई.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 136/2017

वादीगण	प्रतिवादीगण
1. कमलसिह पुत्र बसतसिह उम्र 40 वर्ष 2. दीपसिह पुत्र बसतसिह उम्र 38 वर्ष 3. किशनसिह पुत्र बसतसिह उम्र 36 वर्ष 4. जुंझारसिह पुत्र बसतसिह उम्र 34 वर्ष 5. सिरेकवंर पत्नी बसतसिह उम्र 59 वर्ष जाति राजपूत निवासी तुड़बी तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर	1. अदरीम पुत्र हासम उम्र 55 वर्ष 2. कुचटा पुत्र फुसा उम्र 47 वर्ष 3. जामीन पुत्र अलीया उम्र 48 वर्ष 4. कालू पुत्र मोड़ा उम्र 70 वर्ष 5. मंगला पुत्र मोडा उम्र 67 वर्ष 6. हासम उर्फ हसण पुत्र मोडा उम्र 65 वर्ष जाति मुसलमान निवासी तुड़बी तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर

बनाम

उपस्थिति : 1. श्री बृजमोहन कुमावत वकील वादीगण।
2. श्री ईश्वरसिह भाटी वकील प्रतिवादीगण।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 209, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता को आज दिनांक 18.10.2019 को सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव के समक्ष अन्तिम रूप से निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:–

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा तुड़बी तहसील गडरारोड़ के खेत खसरा नम्बर 1293 रकबा 43.09 बीघा भूमि मे से 5 बीघा भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी में यथावत रखते हुए 38.09 बीघा भूमि मे से प्रतिवादीगण के नाम हटाये जाकर उनके स्थान पर वादीगण की खातेदारी मे घोषित की जाती है। तहसीलदार गडरारोड को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे वादीगण का खसरा पृथक कायम करते हुए, अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

निर्णय आज तारीख 18.10.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर शिव जिला बाड़मेर (SDO)

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) शिव बाड़मेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 14:22:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: